(20)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक दो/2015 निगरानी

निगरानी 1690-II-15

श्रीमती गीतादेवी गुप्ता पत्नी रामावतार गुप्ता

निवासी ग्राम-- टिजुरा, थाना -बिजुरी तहसील

कोतमा जिला-- शहडोल मध्यप्रदेश-- आवेदक

श्री मुकेश बेलापुरकर एडवोकेट द्वारा आज दि. 27/6/2015 को प्रस्तुत
27-6-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

1. रामकिशोर पिता गोविन्द प्रसाद ब्राम्हण

निवासी ग्राम-- लोहसरा, तहसील-- कोतमा

जिला-- शहडोल

2. मध्यप्रदेश शासन

तहसीलदार कोतमा द्वारा प्रकरण कमांक 42/अ--3/2010-11 में की गयी कार्यवाही एवं आदेश दिनांक 24--6--2011 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा--8 एवं धारा 50 मध्यप्रदेश भू-- राजस्व संहिता 1959.

माननीय न्यायालय,

आवेदिका निम्नलिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करती है:--

1. यह कि, तहसील न्यायालय की कार्यवाही एवं आदेश अवैध अनुचित एवं विचाराधिकाररहित होने से निरस्त किये जाने योग्य है.
2. यह कि, अनावेदक कमांक--1 द्वारा नक्शा सुधार हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर आवेदिका को कोई सुचना अथवा सुनवायी का कोई अवसर प्रदान नही किया गया और न ही उक्त प्रकरण में आवेदिका को पक्षकार बनाया गया हितबद्ध पक्षकार को बनाये बिना तथा सूचना एवं सुनवायी का अवसर दिये बिना की गयी कार्यवाही अवैध एवं अनुचित होकर निरस्त किये जाने योग्य है.1987 रेवेन्यू निर्णय 193,1991 रेवेन्यू निर्णय 41.
3. यह कि, आवेदिका ने वर्ष 1999 में भूमि पंजीकृत विकय पत्र के जर्ये कय की थी विकय पत्र में विकित भूखण्ड की चोहददी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की गयी थी तथा आवेदिका का निरन्तर उक्त भूखण्ड पर वास्तविक आधिपत्य चला आ रहा है तथा

M. Belapurkar 27/6

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1690-दो/2015 जिला शहडोल गीतादेवी विरूद्ध रामकिशोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-09-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. दिनांक 04-09-2018 को आवेदक की ओर से श्री आर.डी. शर्मा, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक पूर्व से एकपक्षीय है । आवेदक के तर्क सुने गये । 3. यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 एवं धारा 8 के अंतर्गत तहसीलदार कोतमा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 42/अ-3/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 24-06-2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । 4. निगरानी मेमो एवं अधीनस्थ तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 24-06-2011 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । 5. अधिसूचना क्रमांक 2543-6408-सात-ना-1 दिनांक 27 जून 1968 (राजपत्र 30-8-68) द्वारा संहिता की धारा 71, 72, 73 (वर्तमान धारा 58, 69, 70) की शक्तियां शासन द्वारा तहसीलदार को प्रदत्त की गई है । ऐसी दशा में तहसीलदार को संहिता की धारा 70 के अंतर्गत नक्शा तरमीम करने की अधिकारिता है । 6. संहिता की धारा 44 में यह प्रावधान है कि- " 44. अपील तथा अपीलीय अधिकारी (1) जहां अन्यथा उपबन्धित किया गया हो, उसके अतिरिक्त इस संहिता अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रत्येक मूल आदेश की अपील हो सकेगी - a) यदि ऐसा आदेश उपखण्डीय पदाधिकारी के अधीनस्थ किसी भी राजस्व पदाधिकारी द्वारा दिया गया हो,	

चाहे आदेश देने वाला पदाधिकारी को कलेक्टर की शक्तियां विनिहित की गई हो, उपखण्डीय पदाधिकारी को, ________"
उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पारित मूल आदेश के विरूद्ध धारा 44(1) के अंतर्गत अपील हो सकती है । संहिता की धारा 46 में यह प्रावधान है कि -

" 46. कतिपय आदेशों के विरूद्ध कोई अपील नहीं होगी- किसी भी ऐसे आदेश की -

a) जिसके द्वारा कोई अपील या पुनर्विलोकन के लिये कोई आवेदन इण्डियन लिमिटेशन एक्ट 1908 (1908 का सं.9) की धारा 5 में विनिर्दिष्ट किये गये आधारों पर ग्रहण किया गया है, या
b) जिसके द्वारा पुनर्विलोकन के लिये किये गये किसी आवेदन को नामंजूर किया गया है, या
c) जिनके द्वारा किसी ऐसे आवेदन को जो रोक(स्टे) के लिये हो, मंजूर या नामंजूर किया गया है, या
d) जो अंतरिम स्वरूप का है, या
e) जो धारा 104 की उपधारा (2) के अधीन की नियुक्ति से संबंधित है,

इस संहिता के अधीन कोई अपील नहीं होगी ।"

तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-06-2011 संहिता की धारा 70 के अंतर्गत पारित कर नक्शा तरमीम के आदेश दिये है । नायब तहसीलदार का यह आदेश अंतिम स्वरूप का है, इस कारण संहिता की धारा 46 के प्रावधान इस प्रकरण में आकर्षित नहीं होते । इस कारण नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश संहिता की धारा 44(1) के अंतर्गत अपील योग्य है । अपील योग्य आदेश के विरूद्ध निगरानी आवेदनपत्र ग्राह्य नहीं किया जा सकता । फलस्वरूप यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है ।

सदस्य 6.9.18